संख्या-308/2022/584रासनि/23-1-22/003-14आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 07 अक्टूबर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 36 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1579/CE-HQ-1/RSN 5054/MRT/2022-23, दिनांक 21.09.2022 एवं 1536/CE-HQ-1/RSN 5054/MRT/2022-23, दिनांक 23.09.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 36 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 3,75,56,000/- (रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	अटेरना बस स्टैण्ड से साबितगढ़ रजवाहे पटरी पर कोल्ड स्टोरेज तक मार्ग का नवनिर्माण	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20	418.82	91.09	70.34	257.39	12.00
2	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	डिबाई-दानपुर मार्ग का छूटा भाग का निर्माण कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	62.57	32.76	14.25	15.56	7.78
3	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	रामपुर बझेड़ा जरगवाँ रोड का शेष भाग का नवनिर्माण का कार्य	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	27.17	14.11	4.38	8.68	8.68
4	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	रानीवाला सम्पर्क मार्ग का शेष भाग	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20	111.75	46.95	16.14	48.66	9.55
5	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत एम0बी0 - सतवरा मार्ग से करकौरा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	85.48	23.30	17.92	44.26	9.31
6	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	मिसिंग लिंक के अन्तर्गत खुदादिया से मुरादपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	150.62	40.11	35.35	75.16	15.06
7	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत मुडाखेड़ा से बौरौली मार्ग का निर्माण कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	55.11	24.90	10.83	19.38	5.51
8	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	एन0एच0-91 से नगला चीती मार्ग का नवनिर्माण कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	135.61	37.45	26.5	71.66	15.49
9	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	सीकरी मिसिंग लिंक मार्ग का नवनिर्माण कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	73.18	21.09	10.77	41.32	7.86
10	नि.ख.-2	बराल से ढहरों की मढै. या सम्पर्क :	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-	107.57	31.36	14.4	61.81	12.08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बुलन्दशहर		68 रासनि/20 टीसी					
11	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद बराल मार्ग से शेखपुर गेंदपुर सम्पर्क मार्ग	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	36.09	17.81	4.09	14.19	7.10
12	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	सैंठा नदी के पुल से रसूलपुर सम्पर्क मर्ग	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	53.42	16.37	3.96	33.09	5.86
13	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	पेमपुर सम्पर्क मार्ग	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	26.60	14.14	0.98	11.48	5.74
14	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	गिरधरपुर नवादा सम्पर्क मार्ग	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	98.00	28.51	13.36	56.13	8.47
15	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	अमरगढ़ से पाली आनन्दगढ़ी सम्पर्क मार्ग	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	113.50	36.10	3.27	74.13	11.35
16	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	बेलौन रामघाट रोड से अतरौली रामघाट रोड तक रामपुर रजवाहे की पटरी पर नवनिर्माण कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	301.82	67.91	45.50	188.41	18.75
17	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	ग्राम गालिमपुर जू0हा0स्कूल तक रोड निर्माण कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	23.00	11.28	2.75	8.97	8.97
18	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	कसेर कला शिव मन्दिर से चिलमापुर सम्पर्क मार्ग।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	17.65	8.43	2.56	6.66	6.66
19	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	मौनीपुरा से चिरौरी का नवनिर्माण कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	123.56	35.83	17.31	70.42	13.59
20	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	तुलसी नगला से औरंगाबाद कसेर तक।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	114.56	32.67	18.27	63.62	11.76
21	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	पला कसेर से डिबाई धर्मपुर रोड तक।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	157.61	46.02	20.81	90.78	5.99
22	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	पेसरी झाल से नगला बाघी तक।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	78.57	23.15	9.57	45.85	7.21
23	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	भौलिया होली चौक से कांचरोट सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	39.75	18.96	5.82	14.97	7.49
24	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	विजय नगलिया से परिहावली छूटी कडी सम्पर्क मार्ग।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	23.4	11.11	3.53	8.76	8.76
25	प्रा.ख. बागपत	ग्राम काठा- बन्दपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20	75.94	60.36	4.58	11.00	5.50
26	नि.ख.-2 बुलन्दशहर	घुंघरावली मार्ग से चॅदियाना तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	160.39	42.44	24.8	93.15	14.50
27	प्रा.ख. बुलन्दशहर	हन्दवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के जनपद बुलन्दशहर में स्थित परवाना ग्राम के पैतृक आवास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	109/2020/812 रासनि/23-1-20-67 रासनि/20	229.79	142.85	30.61	56.33	11.45
28	प्रा.ख. बुलन्दशहर	नगला तलवार से गोसमी मार्ग के अवशेष भाग के नवनिर्माण का कार्य।	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20	51.38	31.89	7.72	11.77	5.89
29	प्रा.ख. बुलन्दशहर	ग्राम सोरला से बगसरा मार्ग के अवशेष भाग के नवनिर्माण का कार्य।	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20	139.93	87.33	21.51	31.09	8.55
30	प्रा.ख. बुलन्दशहर	सैदपुर से भंडोली भटटा से औलीना ग्राम तक सम्पर्क मार्ग के ग्राम जौलीगढ एंव औलीना आबादी भाग में सी0सी0 द्वारा नव निर्माण का कार्य।	75/2020/01 रासनि/23-1-21-103 रासनि/20	72.2	24.63	11.61	35.96	14.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	प्रा.ख. बुलन्दशहर	प्राइमरी स्कूल (बिजली घर-बांसुरी फीटर) से ग्राम फतेहपुर तक नवनिर्माण का कार्य।	85/2021/495 रासनि/23-1-21-58 रासनि/20	99.58	32.09	8.56	58.93	12.24
32	प्रा.ख. बुलन्दशहर	टिटौटा से डबकौरा सम्पर्क मार्ग (मिसिंग लिंक) के नव निर्माण का कार्य।	106/2021/488 रासनि/23-1-21-101 रासनि/20	145.13	79.69	30.81	34.63	10.06
33	प्रा.ख. बुलन्दशहर	शेखपुर रौरा से आर0डी0एस0 पब्लिक स्कूल तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	315/2021/654 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टी0सी0	80.53	21.56	17.49	41.48	12.69
34	प्रा.ख. बुलन्दशहर	कुतुबपुर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	53.74	10.90	6.57	36.27	10.08
35	प्रा.ख. बुलन्दशहर	बुलन्दशहर स्याना गढ़ मार्ग से औरंगाबाद रजवाहे की पटरी पर ग्राम मिल्क मकनपुर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	364.44	48.06	73.80	242.58	24.20
36	प्रा.ख. बुलन्दशहर	बी0ए0 रोड कुतुबपुर से सीकरी सम्पर्क मार्ग तक (जटपुरा तक) नवनिर्माण कार्य	40/2021/1937 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 टीसी	97.08	20.38	17.57	59.13	15.01
							कुल योग-	375.56

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पदित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 3,75,56,000/- (रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043375800 राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-308/2022/584रासनि(1)/23-1-22/003-14आरएसएन/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।